जन सम्पर्क कार्यालय,
उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर।
दिनांक : 01.11.2013

प्रेस विज्ञप्ति
(सं. 2013/387)

अक्टूबर माह में फोट्रेस चैकिंग में पकडे 4353 मामले वसूले लगभग 14 लाख रूपये
सर्वाधिक मामले जयपुर मण्डल पर 2173 पकडे गये

रेलवे प्रशासन द्वारा बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिये स्टेशनों पर अभेध टिकट चैकिंग प्रणाली (Fortress check) का प्रयोग कर जयपुर, अजमेर एवं जोधपुर मण्डलों में अक्टूबर माह में 4353 केस पकडकर 13,88,095/– रू. वसूले गये।

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जन सम्पर्क अधिकारी श्री तरूण जैन के अनुसार रेलवे प्रशासन द्वारा वाणिज्य एवं सुरक्षा विभाग के संयुक्त अभियान के तहत् स्टेशनो पर 24 घंटे किलाबंदी कर प्रत्येक आने–जाने वाले व्यक्तियों को चैक किया गया। इस अभियान में अधिकारियों के साथ टिकट चैकिंग दल एवं रेल सुरक्षा बल/राजकीय रेलवे पुलिस के सहयोग से प्रातः 06.00 बजे से सायं 06.00 बजे एवं सायं 06.00 बजे से अगले दिन प्रातः 06.00 बजे तक 2 पारियों में स्टेशनों के समस्त प्रवेश/निकास स्थलों पर प्रत्येक आने–जाने वाले व्यक्तियों से टिकट/प्लेटफॉर्म टिकट अथवा अन्य प्राधिकार जांचा जाता है। इस अभियान के तहत् अक्टूबर माह में जयपुर, अजमेर एवं जोधपुर मण्डलों में 30 फोट्रेस अभियान चलाये गये जिनमें कुल 4353 केस पकडकर 13,88,095/– रू. वसूले गये। जिनमें सर्वाधिक जयपुर मण्डल पर बिना टिकट एवं बिना बुक किये सामान सहित कुल 2173 केस पकडकर 7,43,190/– रू. रेल राजस्व की आय प्राप्त की गई।

श्री जैन ने बताया कि इस तरह की अभेध टिकट चैकिंग प्रणाली (Fortress check) को निरन्तर समय–समय पर चलाया जायेगा, जिससे लोगों में रेलवे स्टेशन पर अवैधानिक तरीकों से आने–जाने के साथ ही अवांछनीय लोगों पर भी रोक लगाई जा सके।

जन सम्पर्क अधिकरी
उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर